क्रमांक 15011/35/2021-जेयूएस(एयू)/ई5903

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

जैसलमेर हाउस, 26 मान सिंह रोड़,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 15 नवंबर, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: कैबिनेट के लिए अक्टूबर, 2021 माह के मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा न्याय विभाग के अक्टूबर, 2021 माह के मासिक सार की एक प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एम एस पी दारा)

अवर सचिव (समन्वय)

संलग्न: यथोपरि।

प्रति:

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।

2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

संयुक्त सचिव (श्री संदीप सरकार), कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।

2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।

4. भारत सरकार के सभी सचिव ।

5. विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

6. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

क्रमांक 15011/35/2021-जेयूएस(एयू)/ई 5903

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग के संबंध में अक्टूबर, 2021 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग की अक्टूबर, 2021 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):

अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने **'आजादी का अमृत महोत्सव'** के एक भाग के रूप में छह सप्ताह तक चलने वाला अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द द्वारा माननीय श्री न्यायमूर्ति एन. वी. रमन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री किरेन रिजिजू, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, माननीय श्री न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा और माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति की गरिमामयी उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई गई। 2 अक्टूबर, 2021 से 15 अक्टूबर, 2021 तक आयोजित गतिविधियों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 1,04,390 आउटरीच टीमों द्वारा 1,44,668 गांवों में घर-घर जाकर दौरा किया गया।
- डोर-टू-डोर विजिट के दौरान 11,63,99,760 व्यक्तियों को शामिल किया गया।
- 88,109 टीमों द्वारा आयोजित 94,365 कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों से 1,87,97,221 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- 24,017 गांवों में 2,095 मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई, जिन्होंने 64,01,965 लोगों को जागरूक किया।
- 8,961 कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से 11,96,987 व्यक्तियों को कानूनी जागरूकता दी गई।
- 30,531 संसाधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा 12,669 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 58,55,004 व्यक्ति शामिल हुए।

2. मंथन:

- **माननीय विधि एवं न्याय मंत्री और माननीय निधि एवं न्याय राज्य मंत्री ने दिनांक 12.10.2021 को गरवी गुजरात भवन, नई दिल्ली में न्याय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया। बैठक के दौरान, विचारों का स्पष्ट आदान-प्रदान हुआ और नीतियों और प्रक्रियाओं दोनों के संदर्भ में न्याय विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई उपयोगी सुझाव दिए गए। यह भी निर्णय लिया गया कि विभाग में एकजुट टीम वर्क के निर्माण के लिए विचारों और चर्चाओं के मुक्त-चक्र के आगे के दौर बाद में आयोजित किए जाएंगे।**

3. टेली-लॉ:

- **64,843 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई, जिसमें 21,876 महिलाएं, 20,518 अनुसूचित जाति, 12,362 अनुसूचित जनजाति और 21,434 ओबीसी लाभार्थी शामिल थे। 31 अक्टूबर, 2021 तक कुल 12,31,746 मामलों में सलाह दी गई।**
- **15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 25 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें 1267 राज्य स्तरीय समन्वयक/जिला प्रबंधक/ग्राम स्तर के उद्यमी/पैरा लीगल स्वयंसेवकों ने भाग लिया।**
- **'एक पहल' (लॉगिन डेज़) अभियान 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती मनाने के लिए और प्रचार गतिविधियों के लिए देश भर के 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित आयोजित किया गया।**

4. न्याय बंधु:

- **माह के दौरान न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 165 नए वकीलों ने पंजीकरण कराया। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3506 वकीलों (पुरुष - 3089, महिला - 415, ट्रांसजेंडर - 02) ने पंजीकरण कराया है।**
- **न्याय बंधु पैनल के तहत अब तक 14 उच्च न्यायालयों द्वारा कुल 458 प्रो बोनो वकीलों को नामांकित किया गया है।**

5. कानूनी साक्षरता कार्यक्रम:

- **अरुणाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 24 अक्टूबर, 2021 को नफरा, जिला पश्चिम कामेंग, अरुणाचल प्रदेश में 32 गांव वृद्धों और गांव वृद्धाओं के लिए एक कानूनी साक्षरता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।**
- **सिक्किम राज्य महिला आयोग ने घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों पर 200 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए और 156 छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए बाल यौन शोषण पर कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए।**
- **जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मणिपुर ने दिनांक 13/10/2021 से 15/10/2021 तक मणिपुर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों के 125 शिक्षकों के लिए "बाल यौन शोषण पर हितधारकों का तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण और संवेदीकरण" कार्यक्रम का आयोजन किया।**
- **लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट (एलआरआई) असम ने 11 अक्टूबर, 2021 को हलेम जनजाति की एक उप जनजाति मोल्सोम जनजाति के प्रथागत कानूनों के दस्तावेज़ीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।**
- **न्याय विभाग ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), लेह, लद्दाख के सहयोग से 28 अक्टूबर, 2021 को लेह, लद्दाख में सीमांत लोगों के लिए न्याय तक पहुंच पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। .**

6. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण- II:

- **ईकोर्ट्स मोबाइल ऐप में दिनांक 01.10.2021 तक कुल 66.05 लाख डाउनलोड दर्ज किए गए ।**
- **15 वर्चुओलअदालतों द्वारा 93 लाख से अधिक (93,18,277) मामले निपटाए गए और दिनांक 05.10.2021 तक 183 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है।**
- **सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के अध्यक्ष ने 9 अक्टूबर, 2021 को लिखे एक पत्र में देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी प्रकार के मामलों में सरकार द्वारा मामलों/याचिकाओं की ई-फाइलिंग 1 जनवरी, 2022 से अनिवार्य होनी चाहिए। इस तारीख के बाद सरकार की ओर से किसी भी मामले में भौतिक रूप से केस दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। सभी**

उच्च न्यायालयों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अधिवक्ताओं के साथ-साथ बार एसोसिएशनों को भी सक्रिय रूप से ई-फाइलिंग अपनाने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करें।

- ई-कोर्ट परियोजना के लिए भविष्य की जमीनी तैयारी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के अध्यक्ष ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ डिजिटल संरक्षण मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी साझा की। ई-समिति पायलट आधार पर दो या तीन उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए एसओपी लागू करना चाहती है ताकि अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाएं सभी उच्च न्यायालयों के लिए एक मार्गदर्शक स्रोत बन सकें।
- जिला अदालतों ने दिनांक 11.10.2021 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 97,25,907 मामलों की जबकि उच्च न्यायालयों ने 51,38,205 मामलों की अर्थात (कुल 1.48 करोड़) मामलों की सुनवाई की।

7. न्यायिक बुनियादी ढांचे और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:

- पीएफएमएस के माध्यम से न्यायिक बुनियादी ढांचे और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए सीएसएस के तहत धन जारी करने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो की टीम के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जो पोर्टल में और सुधार करने के लिए न्यायिक बुनियादी सुविधाओं के विकास की ऑनलाइन निगरानी के लिए न्याय विकास 2.0 पोर्टल का रखरखाव कर रही है। वर्तमान में, 6064 कोर्ट हॉल (पूर्ण और निर्माणाधीन) और 4802 आवासीय इकाइयाँ (पूर्ण और निर्माणाधीन) पोर्टल के साथ जियोटैग किए गए हैं।

8. अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू):

न्याय विभाग ने अब तक न्यायिक सहयोग के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ 11 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी समझौता ज्ञापनों की प्रगति की समीक्षा माननीय विधि और न्याय मंत्री के स्तर पर की गई और समझौता ज्ञापनों को सक्रिय करने के लिए विदेश मंत्रालय और संबंधित दूतावास/उच्चायोग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

****